भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 642
उत्तर देने की तारीख : 22.07.2026

वक्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 'उम्मीद' पोर्टल

642. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में 'उम्मीद' पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पंजीकृत कुल वक्फ संपत्तियों और तकनीकी अथवा अन्य कारणों से अपंजीकृत रह गई वक्फ संपत्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोर्टल पर पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के विधिक स्वामित्व, संरक्षण और प्रशासनिक अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में विधिक ढांचे अथवा जारी अधिसूचनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित/शेष रह गए पंजीकरणों का निस्तारण करने और वक्फ अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3ख(1) के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक वक्फ के संबंध में, मुतवल्ली द्वारा वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्ति का विवरण पोर्टल और डेटाबेस पर छह माह की अवधि के भीतर दर्ज किया जाना है। इस अवधि को मुतवल्ली द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर वक्फ अधिकरण द्वारा आगे अधिकतम छह माह तक बढ़ाया जा सकता है।

दिनांक 17.07.2026 तक, UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 पर कुल 7,99,978 वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें से 6,17,102 वक्फ संपत्तियों का सत्यापन कर अनुमोदक द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है, 91,623 वक्फ संपत्तियाँ अपलोड करने की प्रक्रिया के विभिन्न

चरणों में लंबित हैं, जबकि 91,253 संपत्तियों को सत्यापन के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया है। निर्माणकर्ता (Maker), जांचकर्ता (Checker) और अनुमोदक (Approver) स्तर पर विभिन्न चरणों में उपलब्ध वक्फ संपत्तियों की राज्य-वार संख्या UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 अर्थात् umeed.minorityaffairs.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ग) और (घ): UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025, UMEED अधिनियम, 1995 की धारा 3(टक) के अनुसार विकसित किया गया एक वैधानिक पोर्टल है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को अपलोड करना तथा उनके पंजीकरण, सत्यापन, कलेक्टर द्वारा सर्वेक्षण, म्यूटेशन, वार्षिक लेखा-परीक्षा आदि सहित संपूर्ण काल-चक्र का प्रबंधन करना है।

(ङ): अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध वैधानिक उपाय के रूप में, प्रारंभिक छह माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात संबंधित माननीय वक्फ अधिकरणों/न्यायालयों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को आगे की अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया गया। मंत्रालय ने उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के लिए UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 की सेवाएं पुनः शुरू की हैं, जिन्हें संबंधित माननीय वक्फ अधिकरणों अथवा न्यायालयों द्वारा मौजूदा वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों का विवरण अपलोड करने के उद्देश्य से अवधि में विस्तार प्रदान किया गया है।
